# चलचित्र अधिनियम, 1952[1]

## Cinematograph Act, 1952

(1952 का अधिनियम सं. 37)

*(21 मार्च, 1952)*

**प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों के प्रमाणन और चलचित्रों के प्रदर्शन को विनियमित करने का उपबंध करने के लिए अधिनियम**

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो--

भाग 1

**प्रारंभिक**

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ**-- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चलचित्र अधिनियम, 1952 है ।

(2) भाग 1, भाग 2 और भाग 4 का विस्तार संपूर्ण भारत पर है तथा भाग 3 का विस्तार केवल संघ राज्य क्षेत्रों पर है ।

(3) यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परन्तु भाग 1 और भाग 2 का जम्मू-काश्मीर राज्य में प्रवर्तन, चलचित्र (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ के पश्चात्, उसी तारीख को होगा जिसे कन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

**2. परिभाषाएँ**-- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "वयस्क" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपना अठारवाँ वर्ष पूरा कर लिया हो ;

[2](ख) "बोर्ड" से धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित फिल्म प्रमाणन बोर्ड अभिप्रेत है ;

[3](खख) "प्रमाण-पत्र" से धारा 5क के अधीन बोर्ड द्वारा स्वीकृत प्रमाण-पत्र है ;

(ग) "चलचित्र" के अन्तर्गत चलचित्रों या चित्रावलियों का प्रदर्शन करने वाला साधित्र भी है;

(घ) प्रेसीडेंसी नगर के संबंध में किसी "जिला मजिस्ट्रेट" से पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है ;

[4](क) "फिल्म" से चलचित्र फिल्म अभिप्रेत है ;

(ङ) "स्थान" के अन्तर्गत गृह, भवन, टेंट, और प्रत्येक परिवहन है चाहे वह भूमि का हो या समुद्र का या वायु का ;

---

1. हिन्दी पाठ राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति द्वारा 16 जुलाई, 1977 को प्राधिकृत किया गया ।
2. 1981 के अधिनियम क्र. 49 की धारा 2 द्वारा स्थापित ।
3. 1981 के अधिनियम क्र. 49 की धारा 2 द्वारा स्थापित ।
4. 1981 के अधिनियम क्र. 49 की धारा 2 द्वारा स्थापित ।

(च) ''विहित'' से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) ''श्रेत्रीय अधिकारी'' के अधीन कन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 5 के अधीन नियुक्त क्षेत्रीय अधिकारी शामिल है और इसमें अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी और सहायक क्षेत्रीय अधिकारी भी शामिल है ;

(ज) ''ट्रिब्यूनल'' से धारा 5-घ के अधीन गठित अपील अधिकरण है ।

**2क. किसी ऐसी विधि के प्रति जो जम्मू-कश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है या किसी ऐसे कृत्यकारी के प्रति जो उस राज्य में विद्यमान नहीं है, निदेशों का अर्थान्वयन**-- इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति जो जम्मू-काश्मीर राज्य में प्रवृत्त नहीं है या किसी ऐसे कृत्यकारी के प्रति जो उस राज्य में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के प्रति या उस राज्य में विद्यमान तत्समय कृत्यकारी के प्रति निर्देश है ।

भाग 2

## सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन

**3. फिल्म सेंसर बोर्ड**-- (1) फिल्मों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने के लिए केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड का गठन करेगी जिसे [3](फिल्म प्रमाणन बोर्ड) कहा जाएगा जिसमें एक अध्यक्ष तथा [1](12 से कम नहीं किन्तु जो 25 से अधिक नहीं होंगे), कन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे ।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे जो कन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किए जाएँ और अवैतनिक सदस्य बोर्ड के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए ऐसे भत्ते या फीस प्राप्त करेंगे जो विहित की जाए ।

(3) बोर्ड के सदस्यों की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी हैंगी जो विहित की जाएँ ।

**4. फिल्मों का परीक्षण**-- (1) कोई व्यक्ति, जो किसी फिल्म को प्रदर्शित करना चाहता है, उसकी बाबत प्रमाणपत्रों के लिए बोर्ड को विहित रीति से आवेदन करेगा और बोर्ड उस फिल्म के इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों में तथा उपबंधित परीक्षण के पश्चात्,--

(i) उस फिल्म को अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे सकेगा ; [4]परन्तु यह कि चलचित्र में किसी तात्विक बात का ध्यान रखते हुए, यदि बोर्ड की यह राय है कि ऐसी चेतावनी देना आवश्यक है कि बारह वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसा चलचित्र देखने की अनुमति दी जाए इस बाबत ऐसे बालक के माता-पिता या अभिभावक विचार करे, तो बोर्ड ऐसी टिप्पणी सहित चलचित्र के अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन की मंजूरी दे सकेगा ;

(ii) उस फिल्म को वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी दे सकेगा या ;

[2](iiअ) उस फिल्म को निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए, किसी व्यवसाय के सदस्य या किसी वर्ग के व्यक्तियों के लिए उसकी प्रकृति, उसकी ''थीम'' और उसमें समाविष्ट विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, मंजूरी दे सकेगा ।

(iii) पूर्वगामी किसी उपखंड के अधीन सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु मंजूरी के पूर्व आवेदक को निर्देश दे सकेगा कि वह फिल्म में ऐसी कॉंट-छॉंट या उपान्तर करे जैसा कि वह आवश्यक समझे ;

(iv) उस फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने के लिए इंकार कर सकेगा ।

---

1. 1981 के अधिनियम क्र. 49 की धारा 2 द्वारा स्थापित ।

1981 के अधिनियम क्र. 49 की धारा 4 द्वारा स्थापित ।

(2) उपधारा (1) के उपखंड (i), उपखंड (ii), उपखंड (iiअ), उपखंड (iii), उपखंड (iv) अथवा उपधारा (1-क) के उपखंड (ii) या उपखंड (iii) के अधीन बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही आवेदक को उस मामले में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

**स्पष्टीकरण**-- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी अवधि की. जिसके दौरान कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता था संगणना करने में उस अवधि को भी सम्मिलित किया जाएगा जिसके दौरान वह व्यक्ति अधिवक्ता बनने के पश्चात् न्यायिक पद धारण करता रहा हो।

(3) प्रत्येक अपील अधिकरण का गठन उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों में से उसके द्वारा नियुक्त तीन सदस्यों से होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सरकार के किसी अधिकारी को अपील अधिकरणों के रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने के लिए पदाभिहित करेगी।

(5) अपील अधिकरणों के सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा अपील अधिकरणों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

**5घ. अपीलें**-- कोई ऐसा व्यक्ति, जो किसी अन्य फिल्म की बाबत प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो बोर्ड के--

(क) प्रमाण-पत्र देने से इन्कार करने वाले, या

(ख) केवल "वयस्क" प्रमाण-पत्र देने वाले, या

(ग) आवेदक को कोई काँट-छाँट या उपान्तर करने का आदेश देने वाले,

किसी आदेश से व्यथित है, धारा 5ग की उपधारा (4) के अधीन नियुक्त अपील अधिकरणों के रजिस्ट्रार को ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर, अपील कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार किसी अपील के किए जाने की जानकारी के प्राप्त होने पर यथाशीघ्र धारा 5ग की उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट अपील अधिकरण गठित करेगी।

(3) अपील अधिकरण उस मामले में ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे और अपीलार्थी को उस मामले में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देने के पश्चात् उसके संबंध में ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे और बोर्ड उस मामले का निपटारा ऐसे आदेश के अनुरूप करेगा।

**6. केन्द्रीय सरकार की पुनरीक्षण संबंधी शक्ति**-- (1) इस भाग में किसी बात के होते भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी प्रक्रम पर किसी फिल्म के संबंध में किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख मंगा सकेगी जो परीक्षण समिति या बोर्ड के समक्ष लंबित है या जिसका बोर्ड ने विनिश्चय कर दिया है (किन्तु जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे मामले से संबंधित कोई ऐसी कार्यवाही नहीं है जो अपील अधिकरण के समक्ष लंबित है या जिसका उसने विनिश्चय कर दिया है) और उस मामले में ऐसी जाँच के पश्चात् जो वह आवश्यक समझे, उसके संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगी जो वह ठीक समझे और बोर्ड उस मामले का निपटारा ऐसे आदेश के अनुरूप करेगा :

परन्तु यथास्थिति, प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति पर या ऐसे व्यक्ति पर जिसे प्रमाण-पत्र दिया गया है, प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई बी आदेश, उसको उस मामले में अपने विचार प्रकट करने का अवसर देने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) कन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि :

(क) कोई फिल्म जिसे प्रमाण-पत्र दिया गया है, यथास्थिति, संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग में अप्रमाणित फिल्म अथवा भारत के बाहर साधारणतः या किसी विशिष्ट प्रदेश या देशों में, भारत के बाहर प्रदर्शन के लिए अप्रमाणित फिल्म समझी जाएगी ; या

(ख) कोई फिल्म जिसे "अनिर्बन्धित" प्रमाण-पत्र दिया गया है ऐसी फिल्म समझी जाएगी जिसकी बाबत "वयस्क" प्रमाण-पत्र दिया गया है या

**7. इस भाग के उल्लंघन के लिए शक्तियाँ**-- (1) यदि कोई व्यक्ति,--

(क) किसी स्थान में--

(i) उस फिल्म से भिन्न कोई फिल्म प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करने की अनुमति देगा जो बोर्ड द्वारा अनिर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन या वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए (या किसी व्यवसाय के सदस्यों या वर्ग के व्यक्तियों) के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई है और जो जब प्रदर्शित की जाए तब बोर्ड के विहित चिह्न को समदर्शित करती है और जब से उस पर वह चिह्न लगाया गया है तब से उसमें किसी भी रूप में कोई फेरफार या बिगाड़ नहीं किया गया है ;

(ii) किसी ऐसे व्यक्ति को जो वयस्क नहीं है, कोई ऐसी फिल्म प्रदर्शित करेगा या प्रदर्शित करने की अनुमत देगा जो बोर्ड द्वारा वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई, या

(iiअ) [1]कोई फिल्म जो बोर्ड द्वारा किसी व्यवसाय के सदस्यों या व्यक्तियों के वर्ग के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई है को उस व्यवसाय के सदस्य या वर्ग के व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को प्रदर्शित करेगा ; अथवा

(ख) बिना किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के (जिसको साबित करने का भार उसी पर होगा) किसी फिल्म में, उसके प्रमाणित किये जाने के पश्चात् किसी भी रूप में फेरफार या बिगाड़ करेगा; या

(ग) धारा 6क के उपबंध का यां इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गए नियमों द्वारा केन्द्रीय सरकार या बोर्ड की प्रदत्त शक्तियों या कृत्यों में से किसी का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन नहीं करेगा,

तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, और जारी रहने वाले अपराधों की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

परन्तु यह कि खंड अ के उपखंड (i) के प्रावधानों के उल्लंघन से कोई व्यक्ति किसी विडियो फिल्म का प्रदर्शन करने की अनुमति देगा तो वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रूपये तक का हो सकता है दंडनीय होगा और जारी रहने वाले अपराध की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, से दंडनीय होगा।

परन्तु यह और कि न्यायालय द्वारा निर्णय में वर्णित विशेष और पर्याप्त कारणों के आधार पर तीन माह से कम अवधि के कारावास अथवा बीस हजार रुपए से कम का जुर्माना कर सकता है।

परन्तु यह और कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 3) की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी कोई मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष मत से अधिकृत प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, इस भाग के अधीन सिद्धदोष किसी व्यक्ति को पाँच हजार रुपए से अधिक के जुर्माने से दण्डित कर सकेगा।

यह और कि इस भाग के अधीन "U-A" के चेतावनी चिह्न से चिह्नित प्रमाणपत्र की शर्तों के उल्लंघन के लिए कोई वितरक या प्रदर्शक या किसी सिनेमागृह का स्वामी या सिनेमागृह का कर्मचारी दंड के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

---

[1] 1981 के अधिनियम क्र. 56 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित (27-8-1984) से प्रभावी

(2) यदि कोई व्यक्ति किसी फिल्म के संबंध में अपने द्वारा किए गए किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो इस धारा के अधीन दंडनीय है तो सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय यह और निदेश दे सकेगा कि वह फिल्म सरकार को समपहृत हो जाएगी।

(3) अपने माता-पिता या संरक्षकों के साथ आने वाले तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी फिल्म का प्रदर्शन करना जिसकी बाबत "वयस्क" या विशेष प्रमाणपत्र दिया गया है, इस धारा के अर्थ में अपराध नहीं समझा जाएगा।

**7क. अभिग्रहण की शक्ति**-- (1) जहाँ कोई फिल्म जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन कोई प्रमाणपत्र नहीं दिया गया है, प्रदर्शित की जाती है या वयस्कों के लिए निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त प्रमाणित की गई कोई फिल्म किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदर्शित की जाती है जो वयस्क नहीं है या कोई फिल्म अधिनियम के अन्य उपबंधों में से किसी के या कोई केन्द्रीय सरकार (ट्रिब्यूनल) या बोर्ड द्वारा, अपने को प्रदत्त शक्तियों में से किसी का प्रयोग करते हुए, किए गए किसी आदर्श के उल्लंघन में प्रदर्शित की जाती है वहाँ कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे स्थान में जहाँ उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह फिल्म प्रदर्शित की गई है या की जा रही है या उसका प्रदर्शन किया जाना संभाव्य है, प्रवेश कर सकेगा, उसकी तलाशी ले सकेगा और उस फिल्म का अभिग्रहण कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन सभी तलाशियाँ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के ऐसे उपबंधों के अनुसार की जाएगी जो तलाशियों से संबंध रखते हैं।

**7घ. रिक्तियों, आदि से कार्यवाही का अविधिमान्य न होना**-- बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही, बोर्ड में किसी रिक्ति के या उसके गठन में किसी त्रुटि के कारण ही अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी।

**7ड. बोर्ड और सलाहकार पैनल के सदस्यों का लोक सेवक होना**-- बोर्ड और प्रत्येक अपील अभिकरण के सभी सदस्य तथा सभी असेसर, जब वे इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसे कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएँगे।

**7च. विधिक कार्यवाहियों का वर्जन**-- कोई भी वाद अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, केन्द्रीय सरकार, बोर्ड, किसी ट्रिब्यूनल, किसी सलाहाकार समिति, किसी अपील अधिकरण अथवा अपील अधिकरणों के रजिस्ट्रार या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी अथवा बोर्ड या किसी सदस्य के विरुद्ध न होगी।

**9. छूट देने की शक्ति**-- केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों और निबंधनों के, यदि कोई हो, के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अधिरोपित करे किसी फिल्म या फिल्मों के किसी वर्ग के प्रदर्शन या निर्यात को इस भाग के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकेगी।

## भाग 3

## चलचित्रों के प्रदर्शन का विनियमन

**10. चलचित्र प्रदर्शनों का अनुज्ञप्त किया जाना**-- इस भाग में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति किसी चलचित्र के प्रदर्शन, इस भाग के अधीन अनुज्ञप्त स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर नहीं करेगा, या ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा अधिरोपित किन्हीं शर्तों और निबंधनों का अनुपालन करके ही करेगा, अन्यथा नहीं।

**11. अनुज्ञापन प्राधिकारी**-- इस भाग के अधीन अनुज्ञप्तियाँ देने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी कहा गया है) जिला मजिस्ट्रेट होगा :

परन्तु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी संपूर्ण संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भागे के लिए, ऐसे अन्य प्राधिकारी को जिसे वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, इस भाग के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी नियत कर सकेगी।

**12. अनुज्ञापन प्राधिकारी की शक्तियों पर निर्बन्धन**-- (1) अनुज्ञापन प्राधिकारी इस भाग के अधीन तब तक कोई अनुज्ञप्ति नहीं देगा जब तक उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि--

(क) इस भाग के अधीन बनाए गए नियमों का पर्याप्त रूप से अनुपालन क्रिया गया है. और

(ख) उस स्थान में जिसकी बाबत अनुज्ञप्ति दी जानी है, प्रदर्शनों को देखने के लिए उसमें उपस्थित होने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पूर्वावधानियाँ बरती गई हैं।

(2) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों और राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह प्राधिकारी ठीक समझे ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर तथा ऐसे निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह अवधारित करे, इस भाग के अधीन अनुज्ञप्तियाँ दे सकेगा।

(3) इस भाग के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के ऐसे विनिश्चय से, जिसकी अनुज्ञप्ति देने से इन्कार किया गया हो, व्यथित कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार को या ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, अपील कर सकेगा और यथास्थिति, वह राज्य सरकार या अधिकारी उस मामले में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(4) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर सामान्यतया अनुज्ञप्तिधारियों को या विशिष्टतया किसी अनुज्ञप्तिधारी को किसी फिल्म या फिल्मों के किसी वर्ग के प्रदर्शन का विनियमन करने के प्रयोजन के लिए निदेश जारी कर सकेगी, ताकि वैधानिक फिल्मों, शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए आशयित फिल्मों, समाचारों तथा सामयिक घटनाओं से संबंधित फिल्मों, वृत्तचित्रों या देशी फिल्मों को प्रदर्शन का पर्याप्त अवसर प्राप्त हो सके और जहाँ ऐसे कोई निदेश जारी किए गए हैं वहाँ वे निदेश ऐसी, अतिरिक्त शर्तें और निर्बन्धन समझे जाएँगे जिनके अधीन रहते हुए अनुज्ञप्ति दी गई है।

**13. कतिपय दशाओं में फिल्मों के प्रदर्शन को निलंबित करने की केन्द्रीय सरकार या स्थानीय प्राधिकारी की शक्ति**-- (1) संपूर्ण संघ राज्य क्षेत्र या किसी भाग के संबंध में, यथास्थिति, उप-राज्यपाल या मुख्य आयुक्त और अपनी अधिकारिता के भीतर आने वाले जिले के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, यदि उसकी यह राय है कि वहाँ जिस फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन किया जा रहा है उसमें शांति भंग होना संभाव्य है, तो आदेश द्वारा, फिल्म का प्रदर्शन निलंबित कर सकेगा और ऐसे निलंबन के दौराम वह फिल्म, यथास्थिति, उस राज्य, भाग या जिले में अप्रमाणित फिल्म समझी जाएगी।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश यथास्थिति किसी मुख्य आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया हो वहाँ उस आदेश की एक प्रति और उसके लिए कारणों का एक कथन, आदेश करने वाले व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को तुरन्त भेजा जाएगा और केन्द्रीय सरकार या तो उस आदेश की पुष्टि कर सकेगी या उसे प्रभावोन्मुख कर सकेगी।

(3) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उसके किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा, किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि आदेश प्रवृत्त रहना चाहिए तो वह यह निदेश दे सकेगी कि निलंबन की अवधि को इतनी अतिरिक्त अवधि द्वारा बढ़ाया जाए जितनी वह ठीक समझे।

**14. इस भाग के उल्लंघन के लिए शास्तियाँ**-- यदि इस भाग के या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के या उन शर्तों और निर्बन्धनों के, जिनके आधार पर या जिनके अधीन रहते हुए कोई अनुज्ञप्ति इस भाग के अधीन दी गई है, उल्लंघन में, किसी चलचित्र का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति उसका प्रयोग करेगा या उसके प्रयोग की अनु5I देगा अथवा किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान को प्रयोग करने की अनुज्ञा देगा तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, और जारी रहने वाले अपराधी की दशा में, अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान अपराध जारी रहता है एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

**15. अनुज्ञप्ति प्रतिसंहृत करने की शक्ति**-- जहाँ किसी अनुज्ञप्ति का धारक धारा 7 या धारा 14 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो वहाँ वह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी।

**16. नियम बनाने की शक्ति**-- (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,--

(क) उन निर्बन्धनों, शर्तों और निर्बन्धनों, यदि कोई हों, जिनके अधीन रहते हुए इस भाग के अधीन अनुज्ञप्तियाँ दी जा सकेगी, विहित करने के लिए ;

(ख) लोक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलचित्र प्रदर्शनों के विनियमन का उपबंध करने के लिए ;

(ग) उस समय और उन शर्तों को, जिसके भीतर और जिनके अधीन रहते हुए धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन अपील की जा सकेगी, विहित करने के लिए,

नियम बना सकेगी।

(2) इस भाग के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथा शीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीन दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के पूर्वोक्त अनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएँ तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएँ कि वह नियम ही बनाए जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से अधिक पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**17. छूट देने की शक्ति**-- केन्द्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों और निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जिन्हे वह अधिरोपित करे, किसी चलचित्र प्रदर्शन को या चलचित्र प्रदर्शनों के किसी वर्ग को, इस भाग के या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट दे सकेगी।

भाग 4

## निरसन

**18 निरसन**-- चलचित्र अधिनियम, 1918 (1918 का 2) इसके द्वारा निरसित किया जाता है :

परन्तु यह निरसन भाग क राज्यों और भाग ख राज्यों के संबंध में केवल वहाँ तक प्रभावी होगा जहाँ तक उक्त अधिनियम चलचित्र फिल्मों को प्रदर्शन के लिए मंजूरी देने से संबंध रखता है।